

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 14703/2026
CNR: RJHC010670242026 | URN: CW / 26800U / 2026

Priyank Acharya S/o Shri Deshant Acharya, Aged About 23
Years, Resident Of Brahman Mohalla, Partapur, Tehsil Garhi,
District Banswara (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through Secretary, Department
Of Administrative Reforms Department, Government Of
Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
2. The Rajasthan Employees Selection Board, Rajya Krishi
Prabandh Sansthan Parisar, Durgapura, Jaipur Through Its
Secretary.
3. The Joint Director (School Education), Udaipur Division,
Udaipur.
4. The Superintendent, Maharana Bhupal Hospital, Udaipur.
5. The Chief Medical And Health Officer, Banswara, District
Banswara.
6. Bhanwar Singh Borana S/o Shri Poonam Singh Borana,
Aged About 27 Years, Sr. No. 5056, Rank No. 906194,
Roll Number 3507278.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Inderjeet Yadav
For Respondent(s)	:	Mr. Manish Patel

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

10/08/2026

विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से यह निवेदन किया गया कि परिशिष्ट-9 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग, उदयपुर के पत्र दिनांक 12.03.2026 में अधीक्षक महोदय द्वारा महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर को पत्र भेजा जाकर जांच करवाई गई थी, उस जांच की रिपोर्ट याची को नहीं बताई गई है,



उस जांच में याची की दिव्यांगता 40 प्रतिशत होना पाई गई है अथवा नहीं, यह भी याची को स्पष्ट नहीं है और याची द्वारा बार-बार निवेदन करने के बावजूद विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसी अवस्था में याची को परिशिष्ट-9 के क्रम में अयाची संख्या 3 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग, उदयपुर के समक्ष एक सप्ताह में अभ्यावेदन पेश करने की अनुमति दिए जाने और अभ्यावेदन का निस्तारण 15 दिन के भीतर किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अयाची की ओर से यह निवेदन किया गया कि याची सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन समय पर पेश करता है, तो उस अभ्यावेदन का निस्तारण 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।

सुना गया। याची की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए याचिका का इस प्रकार निस्तारण किया जाता है कि परिशिष्ट-9 के क्रम में दिव्यांगता के बारे में की गई जांच रिपोर्ट अयाची संख्या 3 विभाग को प्राप्त हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए याची के द्वारा एक सप्ताह में अभ्यावेदन पेश किए जाने पर उस अभ्यावेदन का निस्तारण 15 दिन के भीतर किया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J